

मूलक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 01

अंक – 329

बेमेतरा, बुधवार 16 जुलाई 2025

रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित

कुल पेज – 8

मूल्य – 5 रुपये

साक्षित समाचार

आंध्र आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या में ट्रक पलटने से नौ मजदूरों की दर्दनाक मौत

अमरावती। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में एक ट्रक पलटने से नौ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घायलों को राजमपेट के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना रात कडप्पा शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुल्लमपेटा मंडल के रेड्डी चेरुवु कट्टा में हुई। पुलिस के अनुसार, हादसे के वक ट्रक में 21 दिहाड़ी मजदूर आम की बोरियों के ऊपर बैठे थे। करीब 30-40 टन आमों से लदा ट्रक रेलवे कोडुर बाजार का रहा था। राजमपेटा मंडल के एसुकापल्ली और आसपास के गांवों में बगीचों से आम तोड़कर लाए गए थे। झील के बांध पर आम से भरा ट्रक पलट गया और उसके ऊपर बैठे मजदूर नीचे दब गए। हादसे में बाल-बाल बचे ट्रक चालक ने पुलिस को बताया कि विपरीत दिशा से आ रही एक कार से टकराने से बचने की कोशिश में उसने नियंत्रण खो दिया और ट्रक झील के किनारे पलट गया। आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।

बिहार में वज्रपात से नौ की मौत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

पटना। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात से नौ लोगों की मौत हो गई। मौसम में हुए अचानक बदलाव के कारण पटना, गया, वैशाली और बांका सहित कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मृतकों की उम्र 12 से 65 वर्ष के बीच है। वज्रपात से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बांका रहा, जहां चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कोहकारा की 12 वर्षीय करीना कुमारी, अमरपुर के अनिल यादव, फुलदीदुमार की सुलेशा देवी और बेलहर के पशुपालक विजय यादव शामिल हैं। गया जिले में सूर्यमंडल चेकपोस्ट के पास तीन बाइक सवार पर बिजली गिरी। इस हादसे में अंकित कुमार और विकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वकील मांझी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा, गया के मोहदा ब्लॉक में पशु चराने के दौरान रूपलाल यादव की बिजली गिरने से मौत हो गई।

उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फिल्म निर्माता

नई दिल्ली। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक पर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म निर्माता के वकील ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक-दो दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया फिल्म निर्माता की ओर से कोर्ट में पेश हुए।

मां बोलीं-शब्दों में बयान नहीं कर सकती ये खुशी

शुभांशु 18 दिन आईएसएस पर रहने के बाद पृथ्वी सुरक्षित लौटे

नयी दिल्ली/ एजेंसी

शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिन के प्रवास के बाद मंगलवार को खुशी और मुस्कुराहट के साथ पृथ्वी पर लौट आए, यह एक ऐसी उपलब्धि है, जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का वादा करती है। लखनऊ में जन्मे शुक्ला और निजी ‘एक्सओम-4’ मिशन के तीन अन्य अंतरिक्ष यात्री प्रशांत समयानुसार रात 2:31 बजे (भारतीय समयानुसार अपराह्न 3:01 बजे) कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के निकट प्रशांत महासागर में उतरे। इस दौरान पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले राकेश शर्मा

ने 1984 में सोवियत रूस मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वह ऐसे पहले भारतीय भी बन गए हैं, जिन्होंने पृथ्वी की कक्षा में सबसे लंबे समय (20 दिन) तक रहकर अंतरिक्ष की यात्रा की। भारत, हंगरी और पोलैंड के लिए इस मिशन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान की वापसी को साकार किया है, क्योंकि इन देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने 40 वर्षों से अधिक समय बाद पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की है। ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान 25 जून को फ्लोरिडा से उड़ा था और 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को आईएसएस पहुंचा था। कक्षीय प्रयोगशाला में शुक्ला, कमांडर पैगी व्हिटसन तथा पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लावोज। उल्नास्की-विस्नीवस्की और हंगरी के टिबोर कापू सहित एक्सओम-4 मिशन दल ने अगले 18 दिन 60 प्रयोगों और 20



संपर्क सत्रों में बिताए। ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करते हुए एक्सओम-4 चालक दल के सदस्यों को लेकर धीरे-धीरे गति कम करने और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के

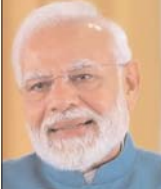
लिए कई प्रक्रियाएँ पूरी कीं तथा प्रशांत महासागर में उतरने से पहले तीव्र गर्मी का सामना किया। कुछ ही मिनटों बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान को स्पेसएक्स के ‘रिकवरी शिप शैनन’ के ऊपर ले जाया गया, जहां शुक्ला और अन्य अंतरिक्ष

यात्री मुस्कुराते हुए और कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए अंतरिक्ष यान से बाहर निकले। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तीन सप्ताह तक भारहीनता की स्थिति में रहने के बाद पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाने के लिए पैरों के सहारे चलवाने में शुक्ला और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की ‘ग्राउंड स्टाफ’ ने मदद की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटे शुभांशु शुक्ला को बधाई दी और कहा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर ‘एक्सओम-4’ मिशन के संचालन में उनकी भूमिका ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, इस मिशन में शामिल सभी लोगों को मेरी बधाई।

यह गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर

पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के सफुल्ल धरती पर लौट आने पर खुशी जताते हुए सोशल

मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें पीएम मोदी ने लिखा ‘मैं पूरे देश के साथ रूप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूँ, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, उन्होंने अपने सम्पन्न, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है।’



सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तलाक केस में सबूत बनेगी पति-पत्नी की गुप्त रिकॉर्डिंग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई 2025) को वैवाहिक विवादों पर महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा, तलाक मामले में पति-पत्नी के बीच हुई गुप्त बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य माना जाएगा। न्यायमूर्ति बीवी नागराज और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा, आज पति पत्नी के रिश्ते आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि वह एक-दूसरे पर निगरानी रखने लगे हैं, तो रिकॉर्डिंग विवाह संबंध की वास्तविक स्थिति दर्शाने वाली प्रासंगिक सामग्री बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि



इस तरह के मामलों में निजता का अधिकार और साक्ष्य का अधिकार एक-दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन यदि रिकॉर्डिंग का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सत्यता स्थापित करना हो तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

हत्या के मामले में दी जानी थी फांसी

यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजा टल गई.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम ए पी अबूबकर मुसलिया और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा स्थगित कर दी है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार



को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए। भारतीय अधिकारी यमन के जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं। बता दें कि निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने

साल 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या की थी। इस मामले में उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी और उनकी अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी देने की तारीख तय की गई थी। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी निमिषा की फांसी को सजा रूकवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अर्पणी जनरल (एजीआई) ने कहा कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मुझे जेल में खतरा है बिक्रम मजीठिया ने कोर्ट से की ये मांग

मोहाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नाभा जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में खतरा है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में उन्होंने अपील की है कि उन्हें नाभा जेल में खतरा है। उन्हें अलग से एक बैरक दी जाए जिसमें वह रह सके। याचिका को उनके वकीलों की तरफ से मोहाली अदालत में लगाया गया है। अब इस मामले में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अदालत के आदेश अनुसार 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। इसमें अदालत में सरकारी वकील को नोटिस भेज कर इस मामले में जवाब मांगा गया है।

सेना पर टिप्पणी का मामला

राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर,5 मिनट में जमानत..

लखनऊ / एजेंसी

भारतीय सेना' पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार (15 जुलाई) को लखनऊ कोर्ट पेश हुए। राहुल के सरेंडर के बाद उनके वकील ने जमानत याचिका लगाई। कोर्ट ने मंजूर करते हुए राहुल को 5 मिनट बाद जमानत दे दी। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो बॉन्ड पर राहुल को जमानत दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी के कोर्ट रूम में जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। भारी सुरक्षा के बीच कांग्रेस सांसद लखनऊ के एमपी/एमएलए कोर्ट रूम के अंदर



पहुंचे। पुलिस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की कार को रोक दिया। उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर किया था। आरोप लगाया था कि

16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी की थी। श्रीवास्तव ने दावा किया था कि राहुल ने 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का उल्लेख करते हुए कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं, जो उनकी दृष्टि में तथ्यों से परे और भ्रामक था। उनका कहना है कि ऐसे बयान से सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ा और उनके परिवारों की भावनाएं भी आहत हुईं। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा था कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया था।

मानसून सत्र का दूसरा दिन

जल जीवन मिशन पर भूपेश बघेल व साव के बीच नोक-झोंक

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन जल जीवन मिशन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बीच नोक-झोंक हुई। बघेल के सवालों का जवाब देते हुए साव ने कहा कि आप की सरकार के समय में नल कनेक्शन के 36 लाख आंकड़े दिखा दिए गए थे। वैरिफिकेशन करवाने पर पता चला 21 लाख घरों में कनेक्शन ही नहीं हुए हैं। उप मुख्यमंत्री की तरफसे जो भी जवाब आया, विपक्षी विधायकगण संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-

25 में व्यय की गयी राशि की जानकारी दें? लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक कितने घरों के लोग जल की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं? उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से जवाब आया कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 31 लाख 16 हजार 398 घरों के लोग जल की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा एवं सूरजपुर जैसे जिलों में लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अरुण साव ने कहा कि 2025 तक लगभग 31 लाख घरों में पानी दे चुके हैं। 2024 में यह योजना पूरी हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद 12 हजार 316 अतिरिक्त नलकूप कनेक्शन दिए गए। आप लोगों की जल मिशन थी तो यह योजना 2 साल विलंब से प्रारंभ हुई।



हमने 19 हजार 656 गांवों में नल कनेक्शन पहुंचाया। अभी की स्थिति में तेज गति से काम हो रहा है। बघेल ने कहा कि आपने हमारे समय का हवाला दे दिया। अब तो डबल इंजन वाली सरकार है। लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। फिर भी जल मिशन का काम कितने ही जिलों में पिछड़ा हुआ है।

साव ने कहा कि सभी जिलों में काम चल रहा है। आपकी सरकार के समय में जल जीवन मिशन कनेक्शन के 36 लाख आंकड़े दिखा दिए गए। जब हमने वैरिफिकेशन करवाया तो पता चला 21 लाख घरों में ही कनेक्शन हुए हैं 15 दिखना चाहिए। आप लोगों के समय में काम कितने ही जिलों में पिछड़ा हुआ है।

हालात नहीं होते। बघेल ने कहा कि आप बता रहे हैं के हमने 36 लाख कनेक्शन दे दिए थे। पानी 21 लाख में ही पहुंच रहा है। दो साल में तो आप लोग 10 लाख कनेक्शन ही दे पाए, जबकि ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। सवाल इस बात का है कि 21 लाख घरों में कैसे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बघेल की इस बात के समर्थन में उनके दल के विधायक उठ खड़े हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बघेल प्रश्न करने में सक्षम हैं। बाकी लोगों को हल्ला करने की जरूरत नहीं। प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास वैरिफिकेशन करवाया तो पता चला 21 लाख घरों में ही कनेक्शन हुए हैं 15 दिखना चाहिए। आप लोगों के समय में काम कितने ही जिलों में पिछड़ा हुआ है।

प्लांट में दुर्घटनाएं, बालेश्वर साहू ने विधानसभा में जताया आक्रोश

रायपुर। सक्ती जिले में स्थापित आर.के.एम. पॉवरजेंन पॉवर प्लांट एवं डी.बी. पॉवर लिमिटेड में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने आज विधानसभा में चिंता जताई। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा कि प्लांट में अवैध डीपिंग के दौरान घायल हुए श्रमिक की मात्र 25 हजार मुआवजा देकर छुट्टी पा ली जाती है। प्रश्नकाल में बालेश्वर साहू का सवाल था कि जिला सक्ती के ग्राम उच्छिंपिडा आर.के.एम. पॉवरजेंन पॉवर प्लांट व ग्राम बड़ाहरन डी.बी. पॉवर लिमिटेड उद्योगों के संबंध में विगत 3 वर्षों में कब, किसके द्वारा, किसको एवं क्या शिकायत की गई है? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई इन उद्योगों में दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए? इस संबंध में कितना मुआवजा दिया गया व कितना शेष है।

इत्यादि ई-ऑफिस प्रणाली के तहत ही संपादित होंगे। अतः सर्व विभाग ई-ऑफिस के तहत किसी भी प्रकार की समस्याएं आने पर अपने कर्मचारियों को जिला कार्यालय में भेज कर इसका समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम सभी विभाग प्रायोगिक तौर पर फ़इल तैयार कर इसे ई-ऑफिस प्रणाली की प्रक्रिया अनुसार जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसकी ही समीक्षा आगामी समय सीमा बैठक में ली जावेगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार शासन के डिजिटलीकरण किए जाने के दिशा में अब जिले के सभी कार्यालयों में फ़इलों दस्तावेजों और पत्राचार नोटशिट आ प्रबन्धन डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा। जिससे शासकीय कार्य पारदर्शी प्रभावी और सुव्यवस्थित होंगे और आम नागरिक को प्रभावी सेवाएं मिलेगी। इसके तहत कार्यालयीन कार्यों में फ़इलों की टूक रिपॉजिटिंग जैसी सभी गतिविधियां ऑनलाइन किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, अरर कलेक्टर राजेश पात्रो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आईएलओ की मान्यता केवल वैश्विक तमगा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि योजनाएं तभी प्रभावी होती हैं, जब वे नागरिकों के जीवन में प्रवेश करती हैं। (लेखक चेयरमैन, प्रसार भारती) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

